

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 845
जिसका उत्तर दिनांक 27.07.2023 को दिया जाना है

परमाणु सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन

845 श्री बिनोय विस्वम :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान परमाणु सुरक्षा के उल्लंघन अथवा अन्य हमलों की कितनी घटनाएं हुई हैं और उनके क्या प्रभाव रहे हैं;
- (ख) परमाणु अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
- (ग) देश में कितने परमाणु उर्जा संयंत्र परिचालित हैं और निकट भविष्य में इनके विस्तार की क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

- (क) पिछले पांच वर्षों में केवल एक घटना हुई थी, जिसमें दिन-प्रतिदिन की प्रशासनिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले केकेएनपीपी प्रशासनिक नेटवर्क पर मैलवेयर संक्रमण की पहचान की गई। संयंत्र नियंत्रण और उपकरण प्रणालियां इंटरनेट, इंटरनेट और प्रशासनिक नेटवर्क जैसे किसी बाह्य नेटवर्क से संबद्ध नहीं हैं। इसलिए इन प्रणालियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
- (ख) नाभिकीय विद्युत बिजलीघरों में उनके प्रचालन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट निम्न और मध्यम रेडियोसक्रियता स्तर का होता है। इन अपशिष्टों का उचित प्रकार से उपचार, सांद्रण कर रेडियोसक्रियता की मात्रा को कम किया जाता है। सांद्रण सीमेंट, बिटूमिन, बहुलकों इत्यादि जैसे अक्रिय पदार्थों में स्थिरीकृत किया जाता है और स्थल विशेष पर इसके लिए विशेष रूप से निर्मित ढांचे में मॉनीटरन के अधीन इसका भंडारण किया जाता है। उपचारित द्रव और गैसों को निरंतर मॉनीटरन के अधीन परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर तनुकरण कर निस्सरित किया जाता है। भंडारित अपशिष्ट का रेडियोसक्रियता स्तर समय के साथ कम हो जाता है और संयंत्र आयु की समाप्ति पर बहुत ही निम्न स्तर का रह जाता है।

(ग) वर्तमान में देश में 23 प्रचालित नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं जिनकी कुल संस्थापित क्षमता 7480 मेगावाट है। इसके अलावा, 8000 मेगावाट (भाविनी द्वारा पीएफबीआर 500 मेगावाट सहित) की क्षमता वाले दस (10) रिएक्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार ने पांच नए स्थलों पर रिएक्टर स्थापित करने के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

* * * * *